संख्या- 8/2016/ 702 /अडतीस-7-2016-140नरेगा/2015

प्रेषक,

उमा कान्त पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 12 मई, 2016**

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत रू0 800.00 करोड की वित्तीय स्वीकृति को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या-625/अडतीस-7-2016-140नरेगा/2015 दिनांक: 26-04-2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या- 13 के लेखा शीर्षक " 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-02 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना -0201- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के-90/रा.10-के+रा)-42-अन्य व्यय " में निर्गत रू0 800.00 करोड(रूपये आठ सौ करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

संख्या- 8/2016/702(1)/अड्तीस-7-2016 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **निदेशक, एमजीनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।**
2. **महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
4. **अपर आयुक्त (मनरेगा/लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
6. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
7. **समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।**
8. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।**
9. **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2**
10. **राज्य योजना आयोग-1/2**
11. **ग्राम्य विकास अनुभाग-3**
12. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।